Subject: Independent Peoples Tribunal on Land Acquisition Resource grab and Operation Green Hunt.

On: 9, 10, 11 April 2010

Place: Constitution Club, Rafi Marg, New Delhi

Presided over by:
Justice H. Suresh, Justice P.B. Sawant, Dr. V. Mohini Giri, Dr. K.S. Subramanian, Dr. P.M. Bhargava and Professor Yash Pal

कान्स्टिटूशनल क्लब में 9 अप्रैल से 11 अप्रैल तक तीन दिन तक ऑपरेशन ग्रीन हंट, जबरदस्ती जमीन और अधिग्रहण के संबध में एक जन सुनवाई का आयोजन किया गया। जिसमें 4 राज्यों छतीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के बारे में कार्यकताओं, वहां रहने वालों, भुक्तभोगियों और आम जनता के विचारों के साथ–साथ कुछ गवाहों को भी सुना गया। जिससे वहां की स्थिति स्पष्ट हुई। तीन दिन तक चली इस जन सुनवाई के कुछ अंश इस प्रकार हैं :

बी.डी. शर्मा : आदिवासी बहुत ही साधारण तरह का जीवन जीते हैं वो अपने भविष्य के लेकिन थोड़े से अनाज के सिवाय कुछ भी बचाकर नहीं रखना चाहते हैं। उन्हें लगता है कि जल, जंगल और जमीन भगवान की चीजें हैं जिस पर सबका अधिकार है और प्रत्येक व्यक्ति को अपनी जरूरत के आधार पर चीजें लेनी चाहिए और बाकी चीजें अन्य जरूरतमंदों के लिए छोड़ देनी चाहिए। लेकिन आज सरकार द्वारा उनसे राजस्व की मांग की जा रही है और वो उसके खिलाफ हैं। राजस्व की शुरूआत ब्रिटिश काल

से चली आ रही है शुरू में ब्रिटिश लोगों ने कहा कि हम बाहर से आए हैं इसलिए हमें खाने के लिए कुछ न कुछ चाहिए तो उन्होंने राजस्व के बजाय चंदे की बात की। लेकिन संविधान लिखे जाने के बाद हमारे सरकारी लोकतंत्र के आधार पर उसे राजस्व के नाम पर उन पर थोपा जिसे उन लोगों ने मानने से इंकार कर दिया। हमारे संविधान के पांचवी अनुसूची के अनुसार राज्यपाल अपनी रिपोर्ट केन्द्र को भेजेगा और फिर ये केन्द्र सरकार की जिम्मेदारी हो जाएगी लेकिन राज्यपाल सीधे निर्देश दे सकता है। लेकिन आज इन इलाकों को बाहरी इलाके माना जा रहा है। हमें लगता हैं कि हमें आदिवासियों पर अत्याचार करने के बजाय स्वयं कानून एवं व्यवस्था को बदलने के बारे में सोचना चाहिए। शर्मा जी के अनुसार आदिवासी अपने पुराने रीति–रिवाजों के आधार पर जीते हैं लेकिन यदि वो अपने रीति–रिवाजों के कारण किसी भी तरह का अनुचित काम करते हैं या प्रकृति को किसी भी तरह का नुकसान पहुंचाते हैं तभी वो कानून के खिलाफ हो सकते हैं वरना नहीं।

जंगल लोगों से संबधित हैं और आदिवासी लोग भी उसी अधिकार क्षेत्र में आते हैं। आदिवासियों को लगता है कि जल,जंगल और जमीन उनकी है और कानून उनकी इस आजादी को छीन रहा है वहीं हम लोगों को लगता है कि वो अपराधी हैं। पांचवा अनुसूची राज्यपाल को अधिकार तो देती है लेकिन इसके लिए राज्यपाल को आगे आना होगा।

कानून इन इलाकों को अनुसूचित क्षेत्रों के नाम से देखता है। और इस अनुसूची में केवल एक तिहाई आदिवासी आते हैं। 1960 में लेबर कमीशन ने कहा कि इन इलाकों को अनुसूचित क्षेत्रों में रखने की आवश्यकता नहीं है। अब 1970 में एक व्यापक नीति आई, इस कानून के आधार पर केवल 6 प्रतिशत आदिवासी जनता का विस्थापन हो रहा है। इससे स्पष्ट होता है कि उन लोगों के लिए विकास को इतनी अधिक वरीयता देने की आवश्यकता नहीं है। बल्कि उन्हें सुरक्षा की आवश्यकता है। वहीं राज्य ने 1974 में राज्यकर की शुरूआत की लेकिन कोई भी उसे नहीं जानता। फिर पीसा नाम

से नया जगल अधिकार कानून आया। पीसा के आने के बाद ग्राम सभा समर्थ हो गईं अब इस तरह के विषयों में अंतिम निर्णय लेने का अधिकार ग्राम सभा को पास आ गया। लेकिन यदि ग्राम सभा ऐसा करने में असमर्थ रहती है तो फिर एस.डी.एम. इस मामले को तीन महीने के अंदर सुलझा लेगा जो कि एक सुधारवादी कानून था। लेकिन फिर राजनीति, और प्रशासन को ग्राम सभा का इस तरह का सशक्तीकरण पसंद नहीं आया। उसके बाद प्रशासन ने जालसाजी करना शुरू किया लेकिन फिर सरकार ने कहा कि यदि किसी को कोई समस्या है तो वो जनजातीय कोर्ट में जाए।

सुधा भारद्वाज : मैं छत्तीसगढ़ मंच के बारे में आपको बताना चाहती हूं। छत्तीसगढ़ 2000 में मध्यप्रदेश से बना है। यह भूमि प्राकृतिक संसाधनों से धनी थी जिसके कारण आज इन इलाकों में बहुत से निगमों का प्रवेश होने लगा है और छत्तीसगढ़ से बॉक्साइट, लाइम स्टोन जैसे संसाधनों का दोहन होना शुरू हो गया है। आज कई निगमित कंपनियां यहां की जमीनों पर अधिकार जमा रही हैं जिनमें से जसपूर जिला भी एक है। जसपूर कलेकटर ने एक नोटिस जारी किया है जिसमें जसपूर के 205 किलोमीटर के इलाके की जमीन के बारे में जानकारी दी गई है अर्थात वो जमीन कैसी है उसमें किस तरह के संसाधन हैं आदि और फिर उस जमीन को कलकत्ता की एक कंपनी एमएसपी को लाइसेंस दे दिया गया है। इसके अलावा 2005 में जिंदल को लाइसेंस दिया गया है।

उन इलाकों में खनन कार्य जोरों पर काम कर रहा है। वैसे तो कहीं पर भी खनन कार्य शुरू करने से पहले उसे दो चरणों से गुजरना होता है। सबसे पहले किसी भी कंपनी को लाइसेंस लेना होता है, फिर सरकार को रिपोर्ट भेजनी होती है। जिंदल ग्रुप ने सरकार से लाइसेंस तो ले लिया लेकिन अपने काम के बारे में सरकार को किसी भी तरह की रिपोर्ट नहीं भेजी कि उन्हें वहां की जमीन से क्या और किस प्रक्रिया से मिला।

इसी तरह से मुआवजे के विषय में भी कई तरह का घपला है। सरकार की ओर से मुआवजा भेजा जाता था। लेकिन यदि एक बार किसी ने मुआवजा लेने से मना कर दिया या किसी कारण से एक बार मुआवजा वापिस चला गया तो फिर वो दोबारा उस व्यक्ति के पास आएगा भी या नहीं इसका कुछ पता नहीं है। कुछ लोगों को 1987 के बाद से ही मुआवजा नहीं मिला।

उस जमीन पर खनन और उस जमीन को उद्योगों के लिए प्रयोग करना एक अपराध है लेकिन फिर भी ऐसा हो रहा है विभिन्न कंपनियों जैसे सलासार, अंजली स्टील, एमएसबी स्टील, नरवा स्टील पॉवर आदि कई कंपनियां खनन के साथ–साथ जमीन के नीचे के पानी को भी निकाल रही हैं जिससे वहां लगातार प्रदूषण की समस्या बढ़ती जा रही है। यदि हम सीपीसी का दस्तावेज देखें तो छत्तीसगढ़ में प्रदूषण की समस्या गंभीर रूप ले चुकी है।

लोगों के अनुसार छत्तीसगढ़ में 15 लाख आदिवासियों के पास जमीन नहीं है और केवल सात हजार गांवों ने सामुदायिक अधिकारों के लिए आवेदन किया है। लेकिन उनमें से भी बहुत से लोगों को पैसा नहीं मिला है या फिर जिन्हें पैसा मिला वो उनके बैंक अकाउंट में डाला गया है। छत्तीसगढ़ में पुर्नसुधार के कागजों में तो इस बारे में बहुत कुछ लिखा गया है लेकिन उनसे से किसी भी योजना को अच्छी तरह से अमल में नहीं लाया गया है। उन्होंने लोगों से सादे कागजों में हस्ताक्षर करवा लिए हैं और फिर बाद में उन कागजों को अपनी मर्जी से भर दिया गया है और कहा गया कि लोगों ने अपनी मर्जी से जमीनें दी हैं उन्हें जमीन देने में कोई परेशानी नहीं है। जबकि लोग चारों और अपनी जमीनों के लिए संघर्ष कर रहे हैं आंदोलन कर रहे हैं।

गोल्डी एम. जोर्ज : (दलित मुक्ति मोर्चा से संबध) : जब हम छत्तीसगढ़ की बात करते हैं तो हमत बस्तर, खनन और आदिवासियों की बात करते हैं लेकिन वहां कोरबा से जुड़ा एक अन्य स्थान है जिसे झंसागढ कहा जाता है जहां प्रचुर मात्रा में बॉक्साइट,

और पानी मौजूद है। झंसागढ़ के डबरागढ़ इलाके में कई ऊर्जा संयत्रों को लगाया गया है। और इसके साथ ही वहां अधिक सरकार अधिक से अधिक एमओयू पर हस्ताक्षर करती जा रही है। कई कंपनियां कह रही हैं कि इससे यहां के लोगों को कोई समस्या नहीं है इसलिए वो ऐसा काम कर रहे हैं जबकि वास्तव में उन्होंने वास्तविक लोगों से पूछने की बजाय झूठे लोगों के बयान लिए हुए है क्योंकि इस तरह की सुनवाई उनके इलाके से 40 किलोमीटर दूर और केवल एक दिन होती है जिसमें वहां के गरीब आदिवासी लोग पहुंच ही नहीं पाते हैं। इतना ही नहीं सरकार जमीन के वास्तविक मालिकों पर हत्या, बलात्कार जैसे झूठे आरोप भी लगा देती है। जो कि जिंदल के इस नारे 'खरीद लो, फंसा दो, हटा दो' से साफ स्पष्ट होता है। भारत सरकार ने खुद भी साफ कहा है कि कोई भी निजी कंपनी वहां आकर अपना काम कर सकती है। यहां तक कि खुद छत्तीसगढ़ सरकार ने कहा है कि वो कुछ मैगावाट बिजली खुद पैदा करेगी जिसके लिए एक बड़े क्षेत्र में खनन की आवश्यकता है जिसका अर्थ है कि और कई एमओयू पर हस्ताक्षर होने अभी बाकी हैं। राजनीति का हस्तांतरण हो रहा है राजनीति की शक्ति से गरीब, कमजोर जनता और आदिवासियों की आजादी छीनी जा रही है। वहां लोकततंत्र के लिए स्थान नहीं है, यहां तक कि आप एक साधारण सा सवाल भी नहीं कर सकते हैं जिससे स्पष्ट है कि ये लड़ाई कोई छोटी–मोटी नहीं एक बड़ी लड़ाई है। इसके लिए हम सबको मिलकर एकजुट होना होगा, जब तक हम इस तरह की किसी प्रक्रिया का निमार्ण नहीं कर लेते हैं तब तक हम इस संकट से बाहर नहीं निकल पाएंगे।

हरीश : (मानवाधिकार कार्यकर्ता, तथ्य उजागार करने वाले दल (फैक्ट फाइंडिंग टीम) में शामिल थे, सलवा जडूम अध्ययन की पहली रिपोर्ट पेश की) :

मैं छत्तीसगढ़ में विशेषकर दंतेवाड़ा के बारे में बात करूंगा। इस जिले में 8 लाख लोग हैं और उनमें से 90 प्रतिशत से अधिक आदिवासी हैं। 30 प्रतिशत भूमि को जंगल के रूप में जाना जाता है। कुल भूमि में से 1.8 प्रतिशत भूमि सिंचाई योग्य है। कई गांवों

में स्वास्थ्य की कोई सुविधा नहीं है। हमने देखा कि जिस इलाके को हम नैक्सलाइड कहते हैं वहां विकास से संबधित मुद्दे सामने आए। वहां अधिकारों के मुद्दे, पट्टा अधिकार के मुद्दे भी उठाए गए और 1980 से लगातार उठाए जा रहे हैं। वहां की इन समस्याओं से निपटने के लिए काम करने वाले कई संगठनों ने शोषण के खिलाफ और वहां के लोगों को बेहतर भूमि देने के लिए लगातार आवाज उठा रहे हैं। वहां सबसे पहले 1990 में जुलाई–अगस्त के महीने में जन जागरण अभियान शुरू हुआ। सलवा जडूम भी एक जन जागरण अभियान ही था। सलवा जडूम नक्सलवाद के खिलाफ आम जनता का अभियान था। जलवा जडूम के दौरान उस इलाके में लोगों के घरों पर हमला किया गया, सड़कें बंद कर दी गई, नागा लोगों ने सड़कों में काम किया। उस दौरान वहां ऐसी स्थिति बन गई थी जो लोगों के मन में डर पैदा कर रही थी। और किन्हीं–किन्हीं क्षेत्रों में तो लगभग सभी गांव खाली हो गए थे। लेकिन फिर भी हम लोगों ने शांति से काम किया। लेकिन अब हम युद्ध करना चाहते हैं।

हमने सलवा जडूम के गांवों में गए, हमने लोगों को देखा वहां कुछ लोग हथियारों के साथ मौजूद थे, हमारा दल को वहां जाने नहीं दिया गया। वहां न तो कोई प्रैस वाला गया और न ही कोई ओर। वहां गांव में लाशें पड़ी रहीं। हमने लाशों को रोक लिया। अर्धसैनिक बल गांवों में गए। लोग इधर–उधर भटक कर अपने–आप को छुपा रहे थे। और बड़ी मेहनत और मुश्किल के बाद हम उन लाशों को प्राप्त कर सके।

16 सितम्बर 2009 को भी ऐसी ही स्थिति हुई ओपरेशन ग्रीन हंट में 7 से 8 प्रतिशत लोगों की जानें गईं। सितम्बर से अक्टूबर मध्य तक भी इसी तरह की रिपोर्टें आती रहीं। अक्टूबर के पहले सप्ताह में वहां एक मिश्रित टीम गई गंजमपल्ली गांव में 17 लोग मारे गए लेकिन उसके बारे में अखबारों और पुलिस स्टेशन में कुछ भी खबर नहीं थी। 1 अक्टूबर को 10 और लोग मारे गए। उसी तरह से चितना मुखा में भी लोग मारे गए। इसी तरह से कई लोग मारे जाते रहे हैं लेकिन हमारे जिनका कि हमें पता भी नहीं है। 20 अक्टूबर को एक महिला को गोली लगी हम उसका इलाज करने के

लिए ले गए तो डाक्टरों ने कहा कि सबसे पहले आप शिकायत दर्ज करें हम उसे सैंट स्टीफन अस्पताल में ले गए और हमने किस तरह से उसका इलाज किया ये हम ही जानते हैं। पुलिस ने उस मामले को छुपाने की कोशिश की। उसे पुलिस कस्टडी में भेजा गया और वो केस कोर्ट में गया। उस बात के 12 गवाह थे और उन सभी को उठा लिया गया और इस तरह से वो मामला ऐसा का ऐसा ही रह गया। हमें फिर वो लोग कहीं दिखाई नहीं दिए। गवाहों को पीटा जाता है और जिससे कातिलों को कोइ पहचानने वाला ही नहीं होता है। तो इस तरह से वहां के लोग केवल न्याय चाहते हैं और कुछ नहीं।

भूमा : भूमा के अनुसार उनका पति एक दिन किसी की मौत की खबर लेने जा रहा था कि सलवा जडूम वालों ने उसे पकड़कर रास्ते में ही उसकी हत्या कर दी हम लोगों ने डर के कारण इस बात की खबर पुलिस में नही की।

लिंगाराम : (ग्राम समाली, खंड–गोकुंडा) : लिंगाराम के अनुसार एक दिन वो टीवी देख रहा था कि तभी मोटरसाइकिल पर 5 आदमी आए और उसे गोकुंडा में ले जाकर मारने लगे। वहां लेजाकर उसे एसपीओ बनने के लिए कहा गया और 30–40 दिन तक वहीं रखा। उन्होंने धमकी दी कि या तो तुझे माउवादी मार देंगे और फिर उन्होंने उसे मार–पीटकर घर भेजा लेकिन रास्ते से ही दोबार पकड़कर ले आए और फिर मेरे भाई को पकड़कर ले आए और फिर किसी तरह से हिमांशु आदि लोगों की मदद से मुझे छुड़ाया गया वो मेरे घर से मेरे सर्टिफिकेट और कई चीजें ले गए। हम आज तक उनके डर के कारण इधर–उधर छुपते फिर रहे हैं। उन्हें लगता है कि पुलिस और नक्सलवादियों में कुछ भी अंतर नहीं है। आदिवासी अच्छी तरह से नहीं रह सकते यदि वो कोई नया कपड़ा या सोने आदि की कोई चीज भी पहन लें तो पुलिस वाले उन्हें पकड़कर ले जाते हैं। उनके गांव में 1800 लोग हैं पुलिस के अनुसार आपरेशन ग्रीन हंट के कारण नक्सलवादी डर गए हैं भाग गए हैं लेकिन ऐसा नहीं है। यदि हम अपनी समस्याओं के बारे में ग्राम पंचायत में कुछ भी लिखकर दें तो उसे उसे ब्लाक स्तर पर

दबा दिया जाता है ताकि वो बात सरकार तक पहुंचे ही नहीं। आदिवासियों को खुद आपस में भी लड़वाया जाता है। आदिवासी शिक्षा, समाजिक सुरक्षा तथा न्याय की मांग करते हैं। सरकार कहती है कि वो उन इलाकों का विकास करेगी लेकिन खनन आदि माध्यमों से वहां के जितने भी संसाधन बाहर से जाते हैं उसके बदले में वहां के लोगों को कुछ भी लाभ नहीं मिल पाता है।

हड़मा कडोती (दांतेवाड़ा जिला) : सलवा जडूम के लोगों ने उसे खेती करते समय पकड़ा। आदिवासियों के साथ अत्याचार करने में कुछ हद तक नेताओं का भी हाथ है।

हिमांशु : वो पिछले 17–18 साल से वनवासी चेतना आश्रम के साथ जुड़कर आदिवासियों के साथ काम कर रहे हैं लेकिन उसे पिछले साल बंद करवा दिया है। वो युवावस्था में आदिवासियों के साथ रहने लगे और धीरे–धीरे उनकी संस्था के साथ 250 लड़के जुड़ गए। उन दिनों वहां के आदिवासियों की समस्याओं और परेशानियों को कोई नहीं सुनता था। उन लोगों ने मुफ्त कानूनी सलाह और चिकित्सा सुविधाएं देने की प्रयास किया जिससे सरकार नाराज हो गई। हम लोगों ने मिलकर सलवा जडूम की खिलाफत करनी शुरू की। उसके बाद सरकार ने हमारे आश्रम को तहस–नहस कर दिया। वो आदिवासियों के साथ–साथ हम पर भी अत्याचार कर रहे हैं, पुलिस लड़कियों के साथ बलात्कार कर रही है। एसपी, डीजी और यहां तक कि अप्रत्यक्ष रूप से चिदंबरम भी इस काम में शामिल हैं। क्योंकि वो लोग आदिवासियों की समस्याओं को देखकर भी अनदेखा कर रहे हैं वो आदिवासियों पर नक्सलवादियों और पुलिस द्वारा होने वाले लगातार अत्याचारों के बाद भी कुछ कर नहीं रहे हैं।

नंदा राम मंडल : एक दिन को नंदा राम अपने घर में सो रहे थे। तभी कुछ सीआरएफ के जवान आए और उनको उठाकर ले गए। वो उनसे नक्सलवादियों के बारे में सवाल–जवाब करने लगे और मेरी बहुत पिटाई की।

कनकी : कनकी कौंटाली गांव की रहने वाली है एक दिन उसके पति को सीआरपीएफ के जवान पकड़कर ले गए और अगले दिन हम अपने पति के बारे में पता करने के लिए पुलिस के पास गए लेकिन उन्होंने इन लोगों को डरा–धमाकर वापिस भेज दिया और फिर अगले दिन फिर सें पुलिस स्टेशन पर जाने पर पता चला कि उन लोगों ने हमारे पति को मार डाला और कहा कि उसने खुद ही फांसी लगा ली है।

वामन : (कुंजाम कुटरेम गांव, दंतेवाड़ा जिला) एक दिन वो गांव में अकेले गाय चरा रहे थे कि तभी पीछे से गोलीबारी हुई और एक गोली उनकी पीठ को छूती हुई निकल गई। इसके लिए उन्होंने गांव की जड़ी–बूटियों से ही इलाज किया।

विनायक सेन : (चिकित्सक, कई सालों से छत्तीसगढ़ में काम कर रहे हैं) सलवा जडूम की शुरूआत 2005 में हुई। सलवा जडूम के शुरू होने से पहले छत्तीसगढ़ में मानवाधिकार की स्थिति के बारे में अखबार में छपा था। 5 नवंबर 2005 को पुलिस व सशस्त्र बलों द्वारा शिक्षकों की नृशंस हत्या की गई। वहां आपरेशन ग्रीन हंट के नाम से क्या हो रहा है इसके बारे में किसी को कुछ पता नहीं है। वहां लोगों की न केवल सुरक्षा की हालत बहुत खराब है बल्कि स्वास्थय के विषय में भी वहां की स्थिति अच्छी नहीं है उस इलाके में डाक्टरों द्वारा किए गए सर्वे से पता चलता है कि वहां दस हजार से अधिक लोग कुपोषण का शिकार हैं। वहां मलेरिया के मरीजों की संख्या बहुत अधिक है। विश्व भर में कुछ टीबी के मरीजों में से एक तिहाई मरीज भारत में रहते हैं और इन इलकों में टीबी के मरीजों की संख्या भी बहुत ज्यादा है और जल, जंगल और जमीन उन्हें बचा पाने में असमर्थ हैं। वहां के लोग बाहरी दुनिया के लोगों से ज्यादा कुछ नहीं चाहते वो चाहते हैं कि उन्हें खाने के लिए भोजन जो कि उनकी जंगली जमीन और जंगली पेड़–पौंधों से आसानी से मिल जाता है और इसके अलावा को सुरक्षा की चाहत रखते हैं ताकि वो निर्भीकता से अपना उनमुक्त जीवन जी सकें।

किशोर नारायण : किशोर नारायण ने उस इलाके में अध्ययन किया, वे वकील हैं और मानवाधिकारी कार्यकर्ता भी। उनके अनुसार आदिवासी इलाकों में भोजन की कमी है। इसके लिए उन्होंने अपने दोस्त के साथ मिलकर भोजन के अधिकार के लिए केस दर्ज किया वो जानना चाहते थे कि उचित दर की दुकान (पीडीएस) किस तरह से काम करती है और उस इलाके में पोषण की क्या स्थिति है आदि। उन्होंने 10 दिसम्बर 20009 को 25 एसपीओ तथा श्री टी.आई. के अधीन मामला दर्ज किया। जैसे ही इस बात का पता चला पुलिस वालों ने उनके दोस्त को पकड़ लिया, उसने अपने बारे में सारी जानकारी दी कि मैं वो एक वकील है और वो उन इलाकों में काम करता है लेकिन उन्होंने उसकी एक न सुनी और उसे बहुत बुरी तरह से मारा–पीटा। हमारी कोई एफआईआर नहीं लिखी गई बल्कि पुलिस वालों ने खुद उनके दोस्त से एक नोट लिखवा लिया कि 'अभी रात हो गई है और वो सुबह ही घर आएगा' और रात भर उनके दोस्त के साथ अत्याचार होता रहा। उसके बाद अगली सुबह उन्होंने सचिव आदि को पत्र लिखा तब कहीं जाकर उनके दोस्त को छोड़ा गया।

10 अप्रैल 2010, दूसरे दिन का सत्र

एलैक्स एक्का : एलैक्स एक्का के अनुसार हम लोग मानवता के लिए आदिवासियों के लिए लड़ रहे हैं क्योंकि हमें लगता है कि भगवान की बनाई हुई सभी चीजों इंसानों के लिए हैं इसलिए भगवान और इंसान के बीच में किसी तीसरे को नहीं आना चाहिए।

जैम्स टोपो : (झारखंड के निवासी, सामाजिक कार्यकर्ता तथा शिक्षक) : उन्होंने झारखंड में सरबूरा और जसफूर इलाके में अपने दो सप्ताह के अनुभव बताए। उनके अनुसार छत्तीसगढ़ में भी पंचायती चुनाव हुए लेकिन उनके इलाकों में हुए ही नहीं। वहां कुद 766 गांव हैं जिनमें से 209 गांव पूरी तरह से आदिवासी हैं। लेकिन सरकार के अनुसार वहां आदिवासियों की संख्या शून्य है। सरकारी जनगणना के दौरान कई आदिवासी गांवों को तो शामिल ही नहीं किया जाता है। यदि उन्हें शामिल कर भी लिया जाए तो उस दौरान उनके नाम के साथ उनकी गौत्र या उनका पूरा नाम लिखा ही नहीं जाता जिससे अंतिम रूप से जनगणना सूची जमा करने से पहले उनके नामों के आगे कुछ और लिखा जा सके और ये पता ही न चल पाए कि वो आदिवासी हैं।
उनके अनुसार उन्होंने वहां के कई स्कूलों में पढ़ाया जहां कि 80 प्रतिशत आबादी आदिवासी बच्चों की है। वहां की प्रकृति हमारे अन्य इलाकों और शहरों की प्रकृति से भिन्न है लेकिन उन बच्चों को भी दिल्ली, रांची, बंगाल आदि किसी अन्य राज्य की तरह की किताबों या फिर उसी तरह से पढ़ाया जाता है जो कि उनकी समझ में आता ही नहीं है अर्थात उन्हें जंगल की संस्कृति और उनके रीति–रिवाजों के आधार पर शिक्षा देने की बजाय शहरों की तरह की शिक्षा दी जाती है खासकर विज्ञान और गणित में, जिससे वो कुछ समझ ही नहीं पाते हैं क्योंकि उन्हें उस तरह की शिक्षा किसी विदेशी शिक्षा की तरह की दिखाई देती है।

आदिवासी इलाकों की जमीन पर उद्योगों को चलाने या कोई कारखाना खोलने के लिए जमीन को हथिया लिया जाता है और जमीन के मालिकों को इस बात का पता ही नहीं चल पाता है। सरकार उनकी जमीन के बिक्री के कागजों पर उनके हस्ताक्षर ये कहकर करती है कि उनकी कृषि अच्छी हुई है जिसके लिए सरकार उन्हें बोनस देना चाहती है और वो बेचारे लोग लालच में आकर उन कागजों पर हस्ताक्षर कर चैक ले लेते हैं जो कि वास्तव में उनकी जमीन की बिक्री के कागज थे।

जसपूर इलाका छह हजार वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला है। वहां की जनसंख्या 8 लाख 47 हजार है और लगभग सभी लोग किसान हैं। वो लोग खुद को प्रकृति से जुड़ा हुआ और प्रकृति का भाग मानते हैं। उन्हें लगता है कि मानवी विकास प्रकृति पर निर्भर रहता है और हम आधुनिक विकास चाहने वाले लोग प्रकृति और इंसान के बीच के रिशते को तोड़ रहे हैं।

अन्य वक्ता : (मानव अधिकार कार्यकाता और लेखक) : कालागढ़ का बांध बनने के दौरान उनका परिवार विस्थापित हो गया। उनके अनुसार सरकार ऑपरेशन ग्रीन हंट के नाम से गांववालों के साथ कई तरह से अत्याचार कर रही है। या तो उनके घरों को जलाया जाता है या फिर उन्हें उनके तरीके से जीने नहीं दिया जाता। आदिवासी अपनी एक अलग संस्कृति या परंपरा के आधार पर जीते हैं उनके कुछ ऐसे पर्व या उत्सव होते हैं जिनमें वो प्रकृति को अपने साथ जोड़कर रहते हैं लेकिन सरकार ने उनको इस तरह से त्यौहार मनाने से ही मना कर दिया। यहां तक कि जिस महुआ के बिना उनकी जीवन की लगभग सभी क्रियाएं जुड़ी हैं उसके प्रयोग की भी मनाही कर दी गई है। आदिवासी जंगलों में पैदा हुए सामान को बेच भी नहीं सकते जिससे उनके सामने आर्थिक संकट भी पैदा हो गया है। आदिवासियों को गुलामी पसंद नहीं है लेकिन उनकी आजादी को छीना जा रहा है यहां तक कि वो गांव में स्वतंत्रता से भी नहीं जा सकता।

उनके लोकतांत्रिक अधिकार छीने जा रहे हैं। आदिवासी आपरेशन ग्रीन हंट के खिलाफ खड़े हैं लेकिन एसपी ऐसी स्थितियां पैदा कर देते हैं कि आदिवासियों को वहां से भागना पड़ता है। उनसे राजस्व मांगा जाता है जबकि उन्हें लगता है कि ये उनकी जमीन है और उन लोगों को जमीन को अपने कब्जे में करने का लालच भी नहीं है उन्हें उस जमीन से केवल अपने लिए भोजन चाहिए और कुछ नहीं। आदिवासियों के लिए भोजन के अधिकार को भी अनदेखा किया जाता है। आज से कुछ सालों पहले तक कोई भी व्यक्ति आदिवासी या फिर जनजातीय इलाकों में नहीं जाना चाहता था लेकिन वैश्वीकरण के कारण हर आदमी अपने आर्थिक लाभ के लिए उन इलाकों की ओर जा रहा है। यहां तक कि उन इलाकों को वर्ष 2005 में सेज तक में डाल दिया गया है। वो इस खनिज प्रधान क्षेत्र से लाभ कमाना चाहते हैं। झारखंड में पिछले कुछ सालों से 102 एमओयू पर हस्ताक्षर हुए हैं। मुंडा की एक बड़ी उपलब्धि है कि उसने जिंदाल के साथ एमओयू पर हस्ताक्षर किए हैं।

उनके अनुसार इलाके में चलाया जा रहा ऑपरेशन ग्रीन हंट पूरी तरह से खनन पर निर्भर है। 17 मार्च को उन्होंने ऑपरेशन ग्रीन हंट के साथ ऑपरेशन मिनिरल हंट चलाया जिससे सरकार की मंशा स्पष्ट होती है। इससे स्पष्ट है कि आपरेशन ग्रीन हंट के कारण आदिवासियों के जीवन में संकट आ रहा है। उनके समाने भोजन, पानी और सुरक्षा को सवाल आकर खड़ा हो रहा है जिससे वो लोग वहां से भाग रहे हैं।

इसका उपाय यही है कि आदिवासी पिछले 230 सालों से सरकार ने आदिवासियों के लिए कुछ भी नहीं किया है। झारखं डमें 22 लाख एकड़ भूमि है। आदिवासियों का जीवन पद्धति उनकी जरूरतों पर निर्भर हैं जबकि हम लोगों की हम शहरी और अन्य इलााकों में रहने वाले लोगों का जीवन केवल मात्र लालच पर निर्भर है। आदिवासी चाहते हैं कि उनको भी जमीन पर मालिकाना अधिकार मिलें। प्रकृति पर अधिकार मिले।

बाद में एक चलचित्र दिखाया गया जिसमें खनन के इलाकों के बारे में बताया गया कि किस तरह से वहां स्पन्ज ऑयरन के उत्पादन से पर्यावरण पर संकट आ रहा है। इस लोहे को बनाने के बाद बचे–खुचे व्यर्थ पदार्थ को नदी सड़क के किनारे, नदी के किनारे या फिर कहीं–कही पर तो सीधे नदी में डाल दिया जाता है। जिसके कारण प्रतिवर्ष लगभग 2.5 करोड़ लोग बीमार पड़ रहे हैं। मिट्टी और पानी के प्रदूषण से मृदा या भूमि पर भी कुप्रभाव पड़ रहे हैं। सल्फर, बाक्साइट के कारण मस्तिष्क, गुर्दों, हड्डियों, फेफड़ों, त्वचा आदि की बीमारियां हो रही हैं। इन कारखानों या फैक्ट्ररियों को लगाने के कारण आदिवासियों को उनकी जमीन से विस्थापित होना पड़ता है लेकिन 1952 से विस्थापित आदिवासियों को अभी तक जमीन का पट्टा नहीं मिला है। आदिवासियों और कृषि से संबधित लोगों की भलाई के लिए 1996 से पीसा एक्ट आया लेकिन उसका लाभ भी लोगों को नहीं मिल पा रहा है। लोग अपने पर होने वाले अत्याचारों के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं लेकिन सरकार किसी न किसी तरह से उसे दबाने का प्रयास करती जा रही है। चौरंगा गांव के लोग आवाज उठा रहे हैं 2006 में गोवा उच्च न्यायालय ने स्पान्ज फैक्ट्री के खिलाफ आवाज उठाई और कई अन्य सरकारों ने इसके खिलाफ कानून भी बनाए लेकिन फिर भी स्थिति जस की तस बनी हुई है। अभी भी वो फैक्ट्रियां वहीं हैं और दूसरी फैक्ट्रियां लगती जा रही हैं।

झारखंड से आए दो गवाहों की बयान

डॉ. मिश्रा : (बोटनी में डाक्टरेट की और आजादी बचाओ आंदोलन से जुड़े हैं) : डॉ. मिश्रा कर्ण पुरा घाटी से जुड़े हुए हैं वो घाटी दो जिलों के तीन प्रखंडों से मिलकर बनी है। वो इलाका बेहद खूबसूरत है जिसमें 235 गांव हैं जो कि 34 ब्लाकों में विभाजित हैं। यहां से 206 गांव विस्थापित होने की कगार पर हैं। ये गांव समद्ध हैं यहां तक कि कलकता में भी इसी इलाके से सब्जी जाती है। पूरे देश में 290 कोयला उत्पादित क्षेत्र हैं जिनमें से 84 झारखं में हैं और उनमें से 34 कर्णपुरा घाटी में हैं। लेकिन उस इलाके से 3 लाख लोग विस्थापित होने की कगार पर हैं। उस इलाके के

लोगों की समस्याओं के लिए पब्लिक हैयरिंग होती है लेकिन वो उन लोगों के इलाकों से 28–30 किलोमीटर की दूरी पर होती है और यहां तक कि वो उसकी तारीख 6 बताते हैं और 5 तारीख को ही पब्लिक हैयरिंग हो जाती है। जब इन लोगों ने इस बात का विरोध किया तो सरकार या कंपनी पर मुकदमा हेाने की बजाय खुद उल लोगों पर ही मुकदमा कर दिया गया। यहां तक कि कंपनी वाले भ्रम फैलाते हैं कि यदि गांव की जमीन से गैस नहीं निकाली गई तो भूकंप आ सकता है। जिसके डर के मारे आदिवासी अपनी जमीन दे देते हैं। थर्मल पावर प्लांट लगाने के कारण 115–120 गांव को उजाड़ दिया गया, ये तक कहा जा रहा है कि कॉमनवैल्थ खेलों के लिए तिलैया गांव से बिजली आएगी। सरकार कहती है कि गांव की जमीन बिक्री के लिए नहीं है लेकिन वो गांवों को उजाड़कर फैक्ट्रियों को जमीन दे रही है। वहां की जमीन से प्रति एकड़ 40–60 करोड़ कोयला प्राप्त किया जा रहा है लेकिन वहां के किसानों को प्रति एकड़ 1 लाख या अधिक से अधिक केवल 10 लाख तक दिया जा रहा है। यहां तक कि मुआवजा देने के लिए भूमि को 6 भागों में बांटा जा रहा है जैसे धान 1,2,3 और फिर टांग 1,2,3 और फिर उसके आधार पर मुआवजा तय किया जा रहा है। 5 लोगों के परिवार को महीने में 2500 रुपये का मुआवजा दिया जा रहा है। वहां गांव के लिए भी जमीन से कोयला निकालते हैं लेकिन उन्हें गैरकानूनी कहा जाता है और कहा जाता है कि उन्हें इस बारे में कुछ भी ज्ञान नहीं हैं लेकिन गांव के लोगों द्वारा कोयले निकालने की प्रक्रिया में कभी भी किसी को कोई संकट का सामना नहीं करना पड़ा जबकि कंपनियों द्वारा कोयला निकालने की विधि में कई बार और कितने ही हादसे होते रहते हैं।

राधा कृष्ण मुंडा : (राज्य समन्वय में शामिल, झारखंड में जंगल बचाओ आंदोलन से जुड़े हैं) : उनके अनुसार फारेस्ट राइट एक्ट पास हुआ जो कि जल, जंगल, जमीन की सुरक्षा के लिए था, जिसमें संथाल परगना सहित तीन कानून थे। लेकिन उसके बाद भी झारखंड में संसाधनों की लूट लगातार जारी है। सरकार ने संयुक्त वन प्रबंधन नीति बनाई जिसके आधार पर आदिवासी जंगल को बर्बाद कर रहे हैं। जिसके विरोध

में 2000 को झारखंड जंगल बचाओ आंदोलन शुरू हुआ और वो लगातार चल रहा है। झारखंड में आदिवासियों की स्थिति बहुत ही खराब है वहां उन्हें न केवल वन विभाग के अधिकारियों बल्कि नक्सलवादियों और पुलिस ने भी घेरा हुआ है। आरएफ, और पीपीएफ कानून आया जिसके अनुसार वर्ष 2005 से पहले रहने वाले लोगों को वहां का निवासी माना गया है लेकिन सरकार वहां के लगभग सभी लोगों को कहती है कि वो वहां अभी हाल ही में आकर बसे हैं। जंगल बचाओ आंदोलन अपनी लड़ाई को कंपनियों के खिलाफ खड़ा करने के साथ–साथ सरकार के खिलाफ भी चाहती है।

पश्चिम बंगाल सत्र

सुजातो भद्रो : (सिंगूर आंदोलन से जुड़े हैं, उन्होंने लालगढ़ में भी काम किया है) : लालगढ़ में एक अलग तरह का आंदोलन था। हम देखते हैं कि वहां गरीब लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है। लालगढ़ में लोगों की 13 मांगें हैं जिनमें सभी नागरिक स्वतंत्रता से जुड़ी हुई हैं। यहां तक कि वहां 1988 से भी कई केसों का अभी तक निपटारा नहीं किया गया है जबकि सरकार ने कहा था कि 1988 के बाद जितने भी केस ग्रामवासियों पर थे उन्हें माफ कर दिया जाए। यदि हम लोकतांत्रिक तरीके से कुछ काम करें तो हमें कोई भी नहीं सुनता है लेकिन यदि हम अपने हाथों में हथियार उठा लें तो हमें हर कोई सुनता है।

कुछ गवाहों के बयान :

अनूप दा : (खिलाड़ी) : एक दिन वो साइकिल पर जा रहा था कि तभी अचानक उसे पुलिस ने पकड़ लिया और उसे बहुत बुरी तरह से मारा–पीटा। वो खिलाड़ी था लेकिन उन्होंने बिना उसकी बात सुने इतना मारा–पीटा कि उसे कई महीनों तक बिस्तर पर रहना पड़ा जिसके कारण उसका खिलाड़ी बनने और अन्तराष्ट्रीय स्तर पर खेलने का सपना, सपना ही रह गया। अब मैं अपने साथ हुए अत्याचार के लिए न्याय चाहता हूं।

आज लालगढ़ की स्थिति बहुत ही बिगड़ गई है पुलिस गांव में प्रवेश करती है वहां लूटपाट, अत्याचार और बलात्कार के साथ–साथ लोगों से पैसे की भी मांग करती है।

मोन्टू लाल : (लालगढ़ इलाके का निवासी) : वह मुमिच कनयान समिति का रहने वाला है। उनके अनुसार पुलिस उनके साथ अत्याचार करती है यदि रक्षक ही इस तरह से करेंगे तो भला वो लोग कहां जाएंगे। सरकार उनके इलाके में विकास की बात करती है लेकिन वहां विकास कहीं नहीं दिखाई देता है वहां स्कूल और स्वास्थ्य सुविधाओं का दूर–दूर तक कहीं पता नहीं है क्योंकि सभी स्थानों पर अर्धसैनिक बल ही दिखाई देते हैं।

गजन सिंह : गजन सिंह के अनुसार वहां पर सरकार और सीपीआई दल काम कर रहे हैं। अर्धसैनिक बल उन्हें पकड़ते हैं और उनके साथ अत्याचार करते हैं उनका साधारण जीवन नष्ट–भ्रष्ट हो रहा है। वहां पर लोग कृषि कार्य नहीं कर पा रहे हैं, बीपीओ कार्यालय ढंग से काम नहीं कर रहे हैं। स्कूल नहीं चल रहे हैं। सरकार सैनिक कार्यवाली के लिए तो बहुत सा पैसा दे रही है लेकिन यहां के लोगों के जीवन स्तर या जीने की परिस्थितियों को सुधारने के लिए कुछ भी नहीं किया जा रहा है। वहां अर्धसैनिक बल, सीआरपीएफ, कोपरा और राज्य पुलिस काम कर रही है जिसके कारण लालगढ़ के लोगों का जीवन बुरी तरह से प्रभावित हो रहा है।

रोबिन सोरिन : (बिरहुगुंण जिला, पश्चिम बंगाल) : बैंगुंण जिला में पत्थर की खदान है उस इलाके में सामुदायिक जमीन है। एक ओर तो सरकार हम पर आरोप लगा रही है कि हम लोग विकास का विरोध कर रहे हैं और दूसरी ओर वो खादान से पत्थर निकालने का काम भी करवा रही है जिससे मकान फट गए हैं, सड़कें टूट गई हैं और कई दुर्घनाएं हो रही हैं जब हम इसके खिलाफ आवाज उठाते हैं तो हमें माओवादी कह दिया जाता है। खनन और इस तरह के कामों से वहां के लोगों को बहुत सी बीमारियां हो रही हैं। इसके अलावा खदान मालिक गांवों में बम फेंककर, गांव को जला तक देते हैं।

महिला गवाह : खदान का मालिक वहां की महिलाओं के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते हैं। हमें माओवादी कह दिया जाता है, हम खादान और क्रशर बंद करने के लिए आंदोलन कर रहे हैं लेकिन हमारे साथ बहुत अत्याचार हो रहे हैं।

अविज्ञान सरकार : (पीएचडी विद्यार्थी) : वो जगापुरी विश्वविद्यालय का विद्यार्थी है और 2006 से जन आंदोलनों से भी जुड़ा है। उसके अनुसार हम लोग बलपूर्वक जमीन हथियाने के सरकारी काम के खिलाफ हैं। उसके अनुसार वो 4 फरवरी 2010 को दिल्ली स्थिति पूसा संस्थान में साक्षात्कार देने आ रहा था लेकिन तभी उसे और उसके साथी को रेल से उठा लिया गया। हमनें अपना परिचय पत्र भी दिखाया लेकिन वो नहीं माने उन्होंने हमारा मोबाइल छीन लिया। हम चिल्लाए भी लेकिन हमारी मदद के लिए कोई भी नहीं आया। उनके अनुसार वो झारखंड पुलिस के आदमी थे लेकिन वो पश्चिम बंगाल पुलिस के आदमी थे। उन्हेांने मेरे अलावा कई अन्य लोगों को भी मारा–पीटा यहां तक कि उन्होंने मेरी आंखों में नमक तक डाल दिया और फिर बाद में मुझे छोड़ दिया गया। उसके बाद मैंने इस बारे में पश्चिम बंगाल सरकार को पत्र लिखा है अभी तक तो कुछ खास नहीं हुआ है अब देखते हैं क्या होता है।

पारसार्थी रे : पारसार्थी रे ने अपनी प्रस्तुति दी। उन्होंने उस इलाके में होने वाले खनन के कामों और उसके कारण खेतों और लोगों को होने वाले नुकसान को बारे में बताने के साथ–साथ प्रकृति को होने वाले नुकसान के बारे में भी बताया। उनके अनुसार आदिवासी इलाकों में भी सेज ने प्रवेश कर लिया है लेकिन इससे आदिवासियों की जिंदगी तहस–नहस कर दी है। जल, जंगल और जमीन से उनके अधिकार छीन लिए गए हैं। खनन के कारण उनकी खेती बर्बाद हो चुकी है पानी के स्रोतों पर बुरा असर पड़ रहा है और विभिन्न तरह के प्रदूषणों के कारण उस इलाके के लोगों को स्वास्थ्य संबधी कई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है जिसके इलाज के लिए उनके पास पैसा तक नहीं है।

11 अप्रैल 2010, तीसरे दिन का सत्र

तीसरे दिन के सत्र में जस्टिस (रिटायर्ड) सावंत, जस्टिस (रिटायर्ड) सुरेश, प्रोफेसर यश पाल, डॉ. पी.एम. भार्गव, डॉ. मोहिनी गिरी तथा डॉ. केएस सुब्रमणियम ने छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल तथा उड़ीसा के इलाकों के गवाहों, उस इलाके में काम करने वालों, वहां के प्रभावितों को सुनकर भूमि अधिग्रहण, संसाधनों के दोहन तथा ऑपरेशन ग्रीन हंट के बारे में अपनी सिफारिशों की रिपोर्ट दी।

जस्टिस (रिटायर्ड) सावंत ने कहा कि हम लोग माओवादियों का पक्ष नहीं ले रहे और न ही हम उन्हें या हिंसा को सही मान रहे हैं बल्कि हम तो किसी भी तरह की हिंसा के खिलाफ हैं फिर चाहे वो माओवादियों द्वारा हो या फिर राज्य द्वारा। हम तो केवल आदिवासियों की समस्याओं के बारे में बात कर रहे हैं और आदिवासी इलाकों में कई तरह से होने वाली हिंसा के खिलाफ हैं। ये स्पष्ट है कि राज्य की इस तरह की गतिविधियों से और आदिवासियों से साथ होने वाले अत्याचार के कारण उनका लोकतंत्र और न्याय व्यवस्था से विश्वास उठता जा रहा है।

प्रभुल सामंतरा : प्रभुल सामंतरा ने आयरन और बॉक्साइड के खनन के कारण पैदा होने वाली कठिन स्थितियों के बारे में बात करते हुए कहा कि बॉक्साइट की खानें ऊंचे वाले पहाड़ों में होती हैं और पहाड़ों के बीच में ही कई जल धाराएं निकलती हैं और खनन के कारण राज्य में पानी की पूर्ति प्रभावित होती है। पिछले साल राज्य में 14 लोग मारे गए। पिछले 6 महीनों में कई गांववासियों को जेल में बंद कर दिया गया है। यहां तक कि वहां के लेागों को अस्पताल तक जाने की मनाही है। सितम्बर 2009 को 30 मासूम गांववालों केा माउवादी कहकर जेल में डाला गया। हम लोगों को पता था कि वो बेकसूर हैं इसलिए हमने उनके लिए आंदोलन किया और लगातार संघर्ष कर रहे हैं लेकिन वो लोग अब तक भी कैद में ही हैं और उनके परिवार भूखो मर रहे हैं।

अभय साहू : पासको आंदोलन के विरोधी के अनुसार स्थानीय लोग खनन क्रियाओं के खिलाफ खड़े हैं। क्योंकि इससे खेती की जमीनें नष्ट हो रही है और यहां तक कि कई लाख मछुवारों की रोजी–रोटी भी खतरे में आ गई है।

लिंगराज आन्नद : लिंगराज आन्नद के अनुसार हम लोग आदिवासी लोग प्रकृति को अच्छी तरह से जानते हैं। हम मिट्टी, पानी, पेड़ों को भगवान का वरदान मानते हैं जिसपर सभी लोगों का अधिकार है। प्रकृति के अलावा उन लोगों का कोई अपना नहीं है।

अजीत भट्टाचार्य : (पत्रकार) : आदिवासी इलाकों की जमीन सामुदायिक भूमि है और उसका राज्य से कोई संबध नहीं है। उनको लगता है कि इस जमीन को निगमों के हाथों में जाने से रोकना चाहिए।

बनवारी लाल शर्मा : बनवारी लाल शर्मा ने राजनीतिज्ञों से अपील करते हुए कहा कि आदिवासी लोग शांति चाहते हैं और हम चाहते हैं कि राजनीतिज्ञ ये जान लें कि हम उनके शत्रु नहीं हैं बल्कि हम सभी दोस्त हैं।

अरूंधती रॉय : अरूंधती राय ने एक सवाल के साथ अपनी बात शुरू की कि 'सरकार युद्ध चाहती है या शांति ?' उन्होंने आगे कहा कि वर्तमान खनन के कार्यों में और माओवादियों के खिलाफ होने वाली कार्यवाहियों में केवल आम जनता और भोले–भाले आदिवासी प्रभावित हो रहे हैं या तो उनकी जमीनों को जबरन हथिया लिया जा रहा है और उनके साथ कई तरह से अत्याचार भी किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि आज लोकतंत्र और लोकतांत्रिक संस्थाओं को खुले बाजार का इतना अधिक पक्षधर नहीं लेना चाहिए। उन्हें अपने किसी भी काम को करने से पहले ये देखना चाहिए कि उनकी इस गतिविधि से कमजोर और पिछले वर्ग पर क्या असर हो रहा है।

अंत में जूरी के सदस्यों ने तीन दिन की कार्यवाही देखने के बाद अपने कुछ सुझाव और सिफारिशें दीं।

1. ऑपरेशन ग्रीन हंट को समाप्त किया जाना चाहिए और स्थानीय लोगों से संवाद स्थापित करना चाहिए।

2. कृषि भूमि और वन भूमि के अधिग्रहण को तुरंत रोका जाना चाहिए और आदिवासी लोगों को जबरदस्ती उनके स्थान से नहीं निकाला जाना चाहिए।

3. सरकार द्वारा विभिन्न उद्योगपतियों द्वारा साईन किए गए एमओयू की जानकारी जनता को दी जानी चाहिए। और जनजातीय या कृषि भूमि के लिए हस्ताक्षर किए जाने वाले एमओयू को को रद्द करना चाहिए।

4. जिन आदिवासियों को जबरदस्ती जंगलों से निकाला गया है उनके लिए पुर्नवास की उचित व्यवस्था की जानी चाहिए।

5. प्रकृति और पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वाले उद्योगों को बंद किया जाना चाहिए और ग्राम सभा की मध्यस्था के बिना अधिगृहित की हुई जमीन को वापिस किया जाना चाहिए।

6. स्कूलों और स्वास्थ्य केंद्रों में स्थापित अर्धसैनिक बलों को वहां से निकाला जाना चाहिए और गांव में उचित शिक्षा तथा स्वास्थ्य सुविधाओं की व्यवस्था की जानी चाहिए।

7. जो विकास का मॉडल प्रकृति या आदिवासियों और आम जनता को नुकसान पहुंचाता है उसे बदल दिया जाना चाहिए।

8. एक परिषद की स्थापना की जानी चाहिए जो आदिवासियों पर होने वाले अत्याचारों को सुन सके और उनको उचित न्याय दिलाने की व्यवस्था कर सके। वो ये भी देखे कि सरकार द्वारा उनके लिए जारी की गई योजनाओं और सुविधाओं का लाभ उन तक पहुंच भी रहा है या नहीं।